

मैसर्स जय फाइबर्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय कर आयुक्त, मुंबई-III

नवंबर 15, 2007

[एस.बी. सिन्हा और दलवीर भंडारी, जेजे.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944- धारा 37 बी व 11 ए- विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा अलग-अलग मत एचडीपीई थैलों के उचित वर्गीकरण हेतु टैरिफ अधिनियम में लिये गये हैं- सीबीईसी के द्वारा धारा 37 बी के अन्तर्गत एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु परिपत्र जारी किया गया था- "अब से" शब्द का प्रयोग परिपत्र में है- यह प्रतिपादित किया गया है कि परिपत्र स्पष्ट रूप से यह निर्देशित करता है कि उसके भविष्य से प्रभावी रहेगा- विभेदक शुल्क उक्त परिपत्र के आधार पर परिपत्र के प्रकाशन से पूर्व समय के लिए वसूल नहीं किया जा सकता- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985- अध्याय शीर्षक नम्बर 39 व 63।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा विभिन्न मत लिये गये हैं कि क्या एचडीपीई थैलों के संबंध में उत्पाद शुल्क अध्याय शीर्षक 63 या अध्याय शीर्षक 39 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत देय होगा। इस संदर्भ में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न मत प्रतिपादित किये गये हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा "राज पैक वेल् लिमिटेड केस" में यह प्रतिपादित किया गया है कि एचडीपीई थैलों का वर्गीकरण अध्याय शीर्षक 39 में होना चाहिए न कि अध्याय शीर्षक 63 में। जब इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन थी, उस समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र दिनांकित 24-09-1992 धारा 37 बी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,

1944 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रकाशित किया गया है कि जहां यह वर्णित है कि एचडीपीई स्ट्रिपस व टेप्स जिनकी चौड़ाई 5 एमएम से अधिक नहीं होगी वो” “ टैरिफ के उपशीर्षक 3920.32 के तहत वर्गीकृत होगी व उपशीर्षक 3923.90 के तहत जो बोरे बनाये गये हैं उन पर देय होगा। यह परिपत्र दिनांक 15-10-1992 को प्रकाशित हुआ।

अपीलार्थी- द्वारा एचडीपीई थैलों का वर्गीकरण टैरिफ अधिनियम के अध्याय 63 के तहत 01-04-1992 से 15-10-1992 की अवधि के लिए निर्मित किये गये। उक्त परिपत्र पर भरोसा करते हुए विपक्षीयण द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ताकि अपीलार्थी के द्वारा जो भी विभेदक शुल्क है, अध्याय 39 के तहत समयावधि 01-04-1992 से 15-10-1992 तक देय किया जाये। कारण बताने के पश्चात सहायक आयुक्त के द्वारा कार्यवाही को छोड़ दिया। राजस्व के द्वारा आयुक्त के समक्ष जो अपील दायर की गई थी वह खारिज की गई। राजस्व द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील पेश की गई। अधिकरण के द्वारा “आईटीडब्ल्यू सिग्नोड केस” का हवाला देते हुए यह प्रतिपादित किया गया कि धारा 11ए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जो संशोधन किया गया है वह सही है तथा राजस्व के पास क्षेत्राधिकार है कि वह अन्तर शुल्क वसूल कर सकता है, जो पूर्व में वसूल नहीं किया गया था।

अपील के दौरान अपीलार्थी के द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि अधिकरण के द्वारा एचएम बैग्स मेन्यूफैक्चरर में प्रतिपादित निर्णय को अनदेखा किया जबकि उक्त निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि जो शब्द “अब से” का अर्थ व निष्कर्ष यह है कि उसका भविष्य में ही प्रभाव होगा तथा उसका भूतपूर्व प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति देते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया कि-

1.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ए में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले *काॅटसपन लिमिटेड* को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया था। *आईटीडब्ल्यू सिग्नोड* में संशोधन अन्तर्गत धारा ११ए को मान्यकारी विधान पाया गया था जिसका भूतपूर्व प्रभाव होगा ऐसी अनुमति दी गई थी। [पैरा 11] [87-एच; 88-ए]

1.2 हालांकि इस न्यायालय के समक्ष एक अलग स्थिति है। यहां यह संशय नहीं है कि राजस्व के द्वारा अपनी गलती को सुधार किया जा सकता है परन्तु उसके कार्यान्वयन विधिक प्रावधानों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा ३७बी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अफसरों के द्वारा आदेश व निर्देश जारी किये जा सकते हैं, अतः यह माल के वर्गीकरण की एकरूपता हेतु आवश्यक या जरूरी हो या यह माल के ऊपर शुल्क लागू करने हेतु आवश्यक या जरूरी हो। अतः अधिकरण के द्वारा यह जरूरी था कि उक्त परिपत्र दिनांकित 24-09-1992 का अर्थ उचित परिप्रेक्ष्य में निकाला जाता है। [पैरा 12] [89-सी-डी]

1.3 परिपत्र इस तथ्य को संदर्भित करता है कि परिणामस्वरूप उक्त वस्तुओं का एक समान वर्गीकरण किया गया था। उक्त वर्णित आधार पर ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ लिया गया था व अपेक्षा की गई थी कि उक्त निर्णय के संदर्भ में यह कार्यवाही की जाये परन्तु न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया गया कि उपरोक्त वर्णित निर्णय के आधार पर ही कानून का अवधार्य मान लिया जावे क्योंकि इस संदर्भ में अपली विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए ही बोर्ड के द्वारा यह सोचा गया कि कर संबंधी कानून की प्रशासनिक हितों के लिए यह आवश्यक रहेगा कि मूल्यांकन पद्धति में एकरूपता रहे। [पैरा 13] [89-ई-एफ]

1.4 उपरोक्त परिपत्र में वर्णित तर्कों की पालना में प्रथम बार किया गया वर्गीकरण इसलिए किया गया था ताकि एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि इसका भविष्यवर्ती प्रभाव रहेगा। हालांकि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके आधार पर ही परिपत्र जारी किया गया था, परन्तु परिपत्र का प्रभाव स्वतंत्र रूप से माना जावेगा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि उपरोक्त के संबंध में अपील का पूर्ण निस्तारण नहीं होता है। जहां तक राजस्व का प्रश्न है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी परिपत्र का प्रभाव रहेगा। बोर्ड के द्वारा आगामी परिणामों को अनदेखा नहीं किया गया है। विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसी कारण से यह निर्देशित किया गया था। इसका भविष्यवर्ती प्रभाव होगा। इसी कारण से परिपत्र में बोर्ड द्वारा उपयोग में ली जाने वाली शब्दावली के मददेनजर एच.एम. बैग मैन्यूफैक्चरर्स प्रासंगिक हो जाता है। अतः न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया था कि परिपत्र का भविष्यवर्ती प्रभाव होगा। स्पष्टतः वहां जहां "अब से" शब्द का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया गया है। अतः एच.एम. बैग्स मैन्यूफैक्चरर्स, बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांत है। अतः बोर्ड की मंशा एचडीपीई थैलों का भूतपूर्व प्रभाव से वर्गीकरण करना नहीं होता तथा नोटिस जारी करने से पूर्व जो शुल्क तय था उसकी मांग नहीं की जा सकती थी। [पारस 14, 15 और 16] [89-जी-एच; 90-ए-सी]

**आईटीडब्ल्यू सिग्नॉड इंडिया लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, (2003) 158 ई.एल.टी. 403 एस.सी., विशिष्ट।

*** एच.एम. बैग निर्माता बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, (1997) 94 ई.एल.टी. 3 एससी ने भरोसा किया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, बड़ौदा बनाम कॉट्सपन लिमिटेड, (1999) 113 ई.एल.टी. 353 एससी., संदर्भित।

*राज पैक वेल लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1990) 50 ई.एल.टी. 201, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील सं. 1950/2006।

सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय विवादित न्यायाधिकरण , मुंबई ने अपील संख्या आदेश सं. ई/3137/1999-Mum में पारित आदेश संख्या ए/48-49/डब्ल्यूजेडबी/2005/सी-II/ईबी दिनांक 09.08.2005 से।

ए.पी. माधव राव, मोनिश पांडा और एम.पी. देवनाथ, अपीलार्थी की ओर से।

आर.जी. पाडिया, नीरा गुप्ता और बी. कृष्ण प्रसाद, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया था।

1. देरी को माफ किया गया।

2. केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा व्यापार परिपत्र में दिनांकित 15-10-1992 को प्रकाशित परिपत्र दिनांकित 24-09-1992 की व्याख्या इस अपील में प्रश्नगत है, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील संख्या ई/3137/99(मुम्बई) और ई/सीओ/389/99(मुम्बई), में दिनांक 09-08-2005 को पारित एक निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत दिनांक 30 जून, 1999 के फैसले और आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा की गई अपील की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा अनुमति दी गई।

3. मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है। यहां अपीलकर्ता एचडीपीई बैग्स का निर्माणकर्ता है। वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के

रूप में संदर्भित) के अध्याय 63 के तहत भुगतान के उद्देश्य से उक्त बैगों को वर्गीकृत करते थे। वह अवधि जिसके लिए उत्पाद शुल्क देय था वह 1.4.1992 से 15.10.1992 है। तदनुसार उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया। यह भी विवाद नहीं है कि अध्याय शीर्षक 63, 54 या अध्याय शीर्षक 39 के तहत शुल्क देय है या नहीं, इस पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अलग-अलग विचार रखे।

4. इसके अलावा यह विवाद में नहीं है कि *राज पैक वेल् लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया*, (1990) 50 ईएलटी 201, मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने विचार किया कि एचडीपीई बैग्स को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय शीर्षक 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और अध्याय शीर्षक 63 के अंतर्गत नहीं। निर्विवादित रूप से, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंक के उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपील अंतिम निर्णय के लिए इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, 24.9.1992 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसका प्रासंगिक भाग निम्न प्रकार है-

“इसलिए, अब, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (अब से अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 39-बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त वस्तुओं के वर्गीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड आदेश देता है कि एचडीपीई स्ट्रिप्स और टेपों की चौड़ाई ५ एमएम से अधिक नहीं होगी, अब से उपशीर्षक 3920.32 के तहत वर्गीकृत किया गया है और टैरिफ के उपशीर्षक 3923.90 के तहत बोरों को बनाया गया है।”

(जोर दिया गया)”

5. उक्त परिपत्र पर भरोसा करते हुए या उसके आधार पर, उत्तरदाताओं द्वारा 1.4.1992 से 15.10.1992 की समयावधि के लिए अध्याय 39 के तहत अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए अपीलकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

6. कारण बताने पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त ने दिनांक 21.10.1997 के एक आदेश द्वारा कार्यवाही बंद कर दी। इससे संतुष्ट नहीं होने पर राजस्व ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35ई(4) के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। 30 जून, 1999 के एक निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई। व्यथित महसूस करते हुए राजस्व ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, आक्षेपित निर्णय के कारण अनुमति दे दी गई है।

7. तीन न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा निर्णय आई.टी.डब्ल्यू. सिग्नोड इण्डिया लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, (2003) 158 ई.एल.टी. 403 एससी का आधार अधिकरण के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लिया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ए में जो संशोधन हुआ है, उसके मद्देनजर जिसकी वैधता को बरकरार रखा गया था, राजस्व और अंतर शुल्क प्राप्त करने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र में था जिसे वसूल नहीं किया गया है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री माधव राव, अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत करेंगे कि अधिकरण ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गलती की क्योंकि वह इस न्यायालय के एक निर्णय एच.एम. बैग्स मैन्यूफैक्चर बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, (1997) 94 ई.एल.टी. 3 एससी, पर विचार करने में विफल रहा, अपने सही परिप्रेक्ष्य में, जिसमें यह स्पष्ट रूप से राय दी गई है कि बोर्ड द्वारा इस्तेमाल

किये गये शब्द "अब से" से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि केवल संभावित प्रभाव ही दिया जा सकता है, न कि पूर्वव्यापी प्रभाव।

9. दूसरी ओर, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डा० पाडिया ने *आईटीडब्ल्यू सिग्नोड इण्डिया लिमिटेड (सुपरा)* में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया। डा. पाडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि एक समय में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई होगी लेकिन यदि ऐसी मंजूरी गलत आधार पर आधारित थी, जिसे सही करने की मांग की गई थी तो धारा ११ए जिसे पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया है। 17.11.1980, से प्रभावी शुल्क की अंतर राशि की वसूली के उद्देश्य से सेवा में लाया जा सकता है। यह आग्रह किया गया था कि उक्त उद्देश्य के लिए, न तो जुर्माना लगाया जा सकता है और न ही वह अवधि जिसके लिए शुल्क की मांग की जा सकती है, छः महीने से अधिक है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा जारी किया गया नोटिस छह महीने की अवधि के लिए था, निर्णय इस न्यायालय का *आईटीडब्ल्यू सिग्नोड (सुपरा)* पूरी तरह से लागू है।

10. हमारा ध्यान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित करना है, जिस पर या उसके आधार पर, परिपत्र पत्र दिनांक 24.10.1992 जारी किया गया है, यह तर्क दिया गया था कि उक्त परिपत्र पत्र की वैधता को उसके कारण चुनौती नहीं दी गई है, अध्याय शीर्षक 63 के तहत एचडीपीई बैग्स को वर्गीकृत करने में राजस्व द्वारा की गई गलती उक्त निर्णय के संदर्भ में ज्ञात हुई है।

11. यह संदेह से परे है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ए को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बरोडा बनाम काॅटसपन लिमिटेड,(1999) 113 ई.एल.टी. 353 एससी मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के संबंध में

संशोधित किया गया था। धारा ११ए का संशोधन *आईटीडब्ल्यू सिग्नोड (सुपरा)* में एक वैध कानून के रूप में पाया गया था, इसलिए पूर्वव्यापी संचालन को अनुमति योग्य माना गया था। उक्त निर्णय पर पहुंचने में, इस न्यायालय ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाध्यकारी मिसालों को देखा जो इसे निर्णय के आधार के रूप में मानते थे। *कॉटस्पन लिमिटेड, (सुपरा)* को इस कारण से छीन लिया गया है कि संसद को समान पूर्वव्यापी प्रभाव और पूर्वव्यापी संचालन देने का अधिकार था। उक्त कानून को लागू करते समय *आईटीडब्ल्यू सिग्नोड (सुपरा)* में इस न्यायालय ने राय दी:

“धारा 11ए उस मामले से संबंधित है जब अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क लगाया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है। ‘चाहे या नहीं’ शब्द के बाद आने वाला ‘ऐसा शब्द गैर-लगान, गैर-भुगतान, कम-लगान, कम-भुगतान या गलत रिफंड को संदर्भित करता है। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि ‘ऐसे शब्द केवल ऐसे कम भुगतान को इंगित करता है जिसे नियम 173 बी के संबंध में कॉटस्पन में अस्तित्वहीन माना गया है। ऐसा कम भुगतान या गैर भुगतान उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क की दर या मूल्यांकन से संबंधित किसी अनुमोदन, स्वीकृति या मूल्यांकन के आधार पर ही सकती है। इस प्रकार, नियम 10 के संदर्भ में की गई कोई भी मंजूरी, उसमें कोई गलती होने की स्थिति का पता लगाया जाता है, तो यह ‘उगाही या कम भुगतान’ अभिव्यक्ति के दायरे में भी आयेगा। इस तरह का नोटिस उस शुल्क के प्रभारी व्यक्ति को दिया जाना है जो अन्य बातों के साथ साथ कम उगाही या कम भुगतान किया गया है।”

इसे आगे आयोजित किया गया:

“कॉटस्पन (सुपरा) का निर्णय तब लिया गया जब वर्गीकरण, उसके अनुमोदन के साथ साथ कम भुगतान या गलती का पता चलने से संबंधित मामले नियमों द्वारा शासित होते थे। नियम 10 और नियम 173 बी को एक-दूसरे और संविधान के साथ संयोजन में पढ़ा जाना था। पीठ ने केवल कानून की व्याख्या के उक्त सिद्धांत का पालन किया, न केवल गैर-भुगतान, कम-भुगतान या गलत रिफंड के परिणाम से संबंधित मूल प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अब एक अलग स्थिति उत्पन्न हो गई है, बल्कि इसके लिए एक अलग प्रक्रिया भी निर्धारित की है।”

“एक कानून, यह घिसा-पिटा है, इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। भारत के संविधान की सातवीं सूची अनुसूची के तहत निर्दिष्ट विधायी क्षेत्रों के संबंध में संसद के कानून बनाने की पूर्ण शक्ति या राज्य विधानमण्डल के कानून विवादित नहीं है। एक वैधानिक अधिनियम संभावित या पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित किया जा सकता है। उपचारात्मक और वैधीकरण कानून के मामले में निर्विवाद रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है। वास्तव में उपचारात्मक कानून अपने स्वभाव से ही काम करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले लेनदेन को प्रभावित करने के इरादे से हैं कि वे पहले से मौजूद स्थितियों पर काम करते हैं। हालांकि, मान्य अधिनियम का दायरा हर मामले में अलग-अलग हो सकता है।”

12. हालांकि हम यहां एक अलग स्थिति से चिंतित हैं। जबकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि राजस्व किसी गलती को सुधारने का हकदार है लेकिन उसका कार्यान्वयन वैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की

धारा 39 बी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को ऐसे आदेश, निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी उचित समझें, यदि वह किसी मामले में माल की या ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क की वसूली के साथ वर्गीकरण की एकरूपता के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है। इसलिए, अधिकरण के लिए उक्त परिपत्र दिनांक 24.9.1992 को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक था।

13. परिपत्र इस तथ्य को संदर्भित करता है कि उक्त वस्तुओं के एक समान वर्गीकरण का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप निर्माता द्वारा वस्तु के मूल्य निर्धारण के मामले में असमानता मौजूद थी। उपरोक्त आधार पर ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया था और उस पर कार्यवाही करने की मांग की गई थी लेकिन न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि केवल उक्त निर्णय के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कानून का निपटारा हो गया है क्योंकि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ की गई अपील पर निर्णय लंबित था।

उपरोक्त तथ्य की स्थिति में था कि बोर्ड ने मूल्यांकन अभ्यास में एकरूपता लाने के लिए कर कानून के प्रशासन के हित में इसे उचित और समीचीन समझा।

14. उक्त परिपत्र के कारण पहली बार उचित वर्गीकरण किया गया। ऐसा उसमें एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसे संभावित आवेदन के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था। यद्यपि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय उक्त परिपत्र जारी करने का आधार था, इसे स्वतंत्र रूप से संचालित करना था लेकिन यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसलिए, जहां तक राजस्व का संबंध है, उक्त परिपत्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय की परवाह किये बिना लागू होना था।

15. ऐसा कहने के बाद भी, बोर्ड इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों से अनभिज्ञ नहीं था। इसलिए, इसने अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग इसे भविष्यवर्ती तारीख से लागू करने का निर्देश दिया।

16. एच.एम. बैग्स मैन्यूफैक्चरर्स (सुपरा) उपरोक्त परिपत्र जारी करने में बोर्ड द्वारा उपयोग की गई शब्दावली को देखते हुए प्रासंगिक हो जाता है। इसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के परिपत्र का संभावित प्रभाव होगा, खासकर जब बोर्ड द्वारा "अब से" शब्द का प्रयोग किया गया हो। एच.एम. बैग्स मैन्यूफैक्चरर्स इसलिए एक बाध्यकारी मिसाल है। यदि बोर्ड स्वयं एचडीपीई थैलों को पूर्वव्यापी प्रभाव से वर्गीकृत करने का इरादा नहीं रखता है तो हमारी राय में, उक्त नोटिस जारी करने से पहले शुल्क की कोई मांग नहीं की जा सकती है।

17. आईटीडब्ल्यू सिग्नोड जो एक अलग तथ्य की स्थिति में प्रस्तुत किया गया था और कानून के उस प्रस्ताव के साथ सौदा नहीं करते हैं जिसके साथ हम संबंधित हैं यहां हमारे विचार में, अधिकरण द्वारा प्रश्न के मुद्दे का निर्धारण करने के उद्देश्य से लागू नहीं किया जा सकता था।

18. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती है। हालांकि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

बी.बी.बी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कनिष्का राठौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।